तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.09.2025	उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 (3) सीपीसी पर बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आधारों को दोहराते हुए कथन किया है कि– वादीगण ने दावा बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का गलत व झूठा पेश किया है और वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में सम्पति संख्या 1 को पैतृक सम्पति व शामलाती सम्पति बिना बंटी हुई होना गलत कहा है। प्रतिवादी संख्या1 सत्यनारायण ने अपना जवाब दावा पेश किया है और जवाब दावा के पैरा संख्या 4 में प्रतिवादी सत्यनारायण ने यह जवाब दावा दिया है कि वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित सम्पति संख्या 1 प्रतिवादी सत्यनारायण की निजी सम्पति है जिसमें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सत्यनारायण ने रजिस्टर्ड बैचान से दिनांक 10.12.1982 को खरीद की है, इस बैचाननामा की फोटो स्टेट कॉपी भी प्रतिवादी सत्यनारायण ने अपने जवाब दावा के साथ पेश की है। असल बैचाननामा प्रतिवादीगण के पास मौजूद है। इस बैचाननामा में विक्रेतागण भूरमल, पुखराज, पुत्र शिवबगस सुनार मेड़ता सिटी है और केतागण रामबिलास पुत्र शिवबगस और सत्यनारायण दत्तक पुत्र हीरालाल है। इस प्रकार उक्त जायदाद में 1/2 हिस्सा रामबिलास का निजी खरीदशुदा है तथा रामबिलास के फौत होने के बाद उनके वारिसान रामबिलास के पुत्र श्याम सुन्दर, नेमाराम उर्फ नेमीचंद और पुत्री लक्ष्मी देवी ने इस दावा के पैरा संख्या 4 में बतलाई गई सम्पति संख्या 1 का रामबिलास का खरीदशुदा 1/2 हिस्सा श्याम सुन्दर, नेमाराम उर्फ नेमीचंद	

व लक्ष्मी देवी ने प्रतिवादी सत्यनारायण को दिनांक 02.06.2016 को रजिस्टर्ड तर्कनामा के जरिये तर्क किया है जिसकी फोटो स्टेट कॉपी प्रतिवादीगण पेश करते है, असल प्रतिवादीगण के पास मौजूद है तथा इसी मकान का रामबिलास का हिस्सा उसके पुत्र चेनाराम ने रजिस्टर्ड तर्कनामा से प्रतिवादी सत्यनारायण को दिनांक 21.12.2016 को कर दिया है। इस रजिस्टर्ड तर्कनामा की फोटो स्टेट कॉपी इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश है, असल प्रतिवादीगण के पास मौजूद है तथा इसी मकान का हिस्सा रामबिलास के पुत्र बाबुलाल ने अपना हिस्सा प्रतिवादी सत्यनारायण को रजिस्टर्ड तर्कनामा से दिनांक 01.05.2019 को तर्क किया है। इस रजिस्टर्ड तर्कनामा की फोटो स्टेट कॉपी प्रार्थना पत्र के साथ पेश करते है असल प्रतिवादीगण के पास मौजूद है। यह तीनों रजिस्टर्ड तर्कनामें है जो सत्यनारायण जी के फौत होने के बाद उनके कागजात में मिले है सत्यनारायण पैरो से विकलांग थे, प्रतिवादीगण को कागजात में ढूंढने पर अब मिले है और प्रतिवादी सत्यनारायण ने जवाब दावा दिनांक 22.12.2015 को पेश किया है उसके बाद के यह तर्कनामें हैं जो प्रतिवादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण के स्वर्गवास के बाद में उनके कागजात में ढूंढने पर मिल है जो प्रतिवादीगण अब अपनी शहादत में न्यायालय में पेश करते है। यह रजिस्टर्ड तर्कनामे है जिन पर किसी प्रकार से संदेह नही किया जा सकता है और इस प्रकार इस मकान का जो उक्त दावा के पैरा संख्या 4 में सम्पति संख्या 1 में 1/2 हिस्सा रामबिलास पुत्र शिवबगस का खरीदा हुआ हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी सत्यनारायण के हक में रजिस्टर्ड तर्कनामा से आ गया है तथा बकाया 1/2 हिस्सा सत्यनारायण का खरीदशुदा है जिसमें अपनी माता का

नाम प्रेमवश डलवाया है इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण मकान के मालिक स्व. सत्यनारायण जी एवं उनके वारिसान प्रतिवादीगण है। इसलिए इन रजिस्टर्ड तर्कनामा की फोटो स्टेट कॉपी को प्रतिवादीगण की शहादत में रेकर्ड पर लिया जावे और यह तर्कनामे वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में वर्णित सम्पति संख्या 1 से संबंधित दस्तावेजात है तथा रजिस्टर्ड तर्कनामे है जिन पर किसी भी प्रकार से संदेह नही किया जा सकता है। इसलिए इन उपरोक्त वर्णित तीनों रजिस्टर्ड तर्कनामों को प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण के कायम मुकाम की शहादत में रेकर्ड पर लिया जावे और अभी इस मुकदमा में प्रतिवादीगण की शहादत शुरू नहीं हुई है इसलिए प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण के कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे और उपरोक्त वर्णित तीनों रजिस्टर्ड तर्कनामों को प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण के कायम मुकामान की शहादत में रेकर्ड पर लिया जावे।

उक्त तर्कों का विरोध कर विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आधारों को दोहराते हुए कथन किया है कि– प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 1 में लिखे तथ्य इस हद तक तो सही है कि वादीगण ने दावा बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया है, मगर प्रतिवादी का यह लिखना सरासर गलत है कि वादीगण ने दावा गलत व झूठा पेश किया हो, जबकि वादीगण ने उपरोक्त अनुवान का दावा कानूनन सही तथ्यों को आधार पर पेश किया है तथा वादीगण ने वाद पत्र के पैरा संख्या 4 में बतायी सम्पति संख्या 1 शामलाती सम्पति बिना बंटी हुई पैतृक सम्पति होना बतायी है, प्रतिवादी संख्या 1 ने इस दावा में जो जवाबदावा

पेश किया है, जो गलत तथ्यों के आधार पर कानून के विपरीत पेश किया है व बदनियतीपूर्वक पेश किया है। प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण ने दावा के पैरा संख्या 4 में सम्पति संख्या 1 अपनी निजी समपति होना गलत बताया है तथा उक्त सम्पति में अपना 1/2 हिस्सा तथाकथित रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 10.12.1982 को खरीद करना बताया है यह तथ्य भी गलत है व झूठे बताये है, इन तथ्यों का खुलासा आगे के पैरा में किया जावेगा, तथाकथित रजिस्ट्री बैचाननामा कानून के विपरीत बेजालोभ में पडकर, बिना अधिकार के करवाया है, जो कानून की नजर में शून्य है। जहां तक सवाल इस तथाकथित बैचाननामा में विक्रेतागण भूरमल, पुखराज, व क्रेतागण रामबिलास, सत्यनारायण के संबंध में जो तथ्य प्रतिवादीगण ने दर्ज किये है, यह भी बदनियतीपूर्वक बाजवूद जानकारी के अपूर्ण तथ्य दर्ज किये है। यहां इस बात का खुलासा किया जाना जरूरी है कि तथाकथित गैरकानूनी रजिस्ट्री बैचाननामा दिनांक 10.12.1982 को एक पारिवारिक बंटवाडा भूरमल, पुखराज, रामबिलास तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 सत्यनारायण के बीच अचल सम्पतियों का किया गया और परिवारिक बंटवाडा लिखित भी तहरीर व तकमील की गई, जो लिखित प्रदर्श–10 है, जो पत्रावली पर मौजूद है, उक्त पारिवारिक बंटवाडा में दावा के पैरा संख्या 4 में बताई सम्पति संख्या 1 जिसके पट्टा संख्या 9/1928–1929 है। उक्त सम्पति संख्या 1 को वादीगण व प्रतिवादीगण के पिता, नाना व पति स्वर्गीय श्री हीरालाल के बंट में रखी गई है तथा उक्त पारिवारिक बंटवाडा की लिखित में बताये बंटवाडा को स्वीकार करते हुए श्री भूरमल, पुखराज, रामबिलास एवं स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 सत्यनारायण ने अपने हस्ताक्षर किये है,

इससे स्पष्ट रोशन होता है कि जब दिनांक 01.12.1982 को हुए पारिवारिक बंटवाडा में दावा में बताई पैरा संख्या 4 में सम्पति संख्या 1 स्वर्गीय हीरालाल के बंट में रख दी गई थी, तो फिर भूरमल, पुखराज को दिनांक 10.12.1982 को सम्पति संख्या 1 को रामबिलास, सत्यनारायण व गोगली देवी के नाम तथाकथित रजिस्ट्री बैचाननाम करवाने का कोई हक व अधिकार भी नहीं था, इस आधार पर तथाकथित रजिस्ट्री बैचाननामा कानूनी रूप से शून्य है तथा इस गैरकानूनी रजिस्ट्री बैचाननामा के आधार पर प्रतिवादी संख्य 1 सत्यनारायण को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होता है, इस पैरे में जो प्रतिवादीगण संख्या 1 उपरोक्त तथाकथित रजिस्ट्री बैचाननामा के अनुसार स्वयं का 1/2 हिस्सा व रामबिलास का 1/2 हिस्सा जो बताया है, वह भी तथ्य जानबुझकर गलत लिखे है तथाकथित रजिस्ट्री बैचाननामा में केतागण में रामबिलास, सत्यनारायण, गोगलीदेवी बताये है, ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादीगण संख्या 1 के बताये अनुसार भी 1/2 हिस्सा सत्यनारायण का व 1/2 हिस्सा रामबिलास का नहीं होता है, इससे प्रतिवादीगण संख्या 1 सत्यनारायण के कायम मुकामान की बदनियती स्पष्ट रूप से साबित होती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 के कायम मुकामान ने इस पैरे में रामबिलास के वारिसान श्याम सुन्दर, नेमाराम उर्फ नेमीचंद लक्ष्मीदेवी द्वारा दावा के पैरा नम्बर 4 में बताई सम्पति संख्या 1 का रजिस्टर्ड तर्कनामा दिनांक 02.06.2016 को तथा रामबिलास के पुत्र चेनाराम ने दिनांक 21.12.2016 को रजिस्टर्ड तर्कनामा तथा रामबिलास के पुत्र बाबुलाल ने दिनांक 01.05.2019 को रजिस्टर्ड तर्कनामा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम निष्पादित करना बताया है, उपरोक्त सभी तथाकथित तर्कनामे कानून के विपरीत बनाये गये है, इस बात की पुष्टि

	इससे भी होती है कि वादीगण ने उपरोक्त वादग्रस्त सम्पति का दावा न्यायालय में 17.09.2015 को पेश किया था और प्रतिवादीगण संख्या 1 सत्यनारायण की ओर से वकालतनामा दिनांक 30.09.2015 को एडवोकेट श्री मधुसुदन जोश ने पेश किया और प्रतिवादीगण संख्या 1 सत्यनारायण को वादीगण द्वारा पेश वादग्रस्त सम्पतियों के दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र की जानकारी भली–भांति हो गई थी तथा न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से पेश अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का निस्तारण दिनांक 27.08.2016 को करते हुए स्थगन आदेश जारी कर दिया था, जिसकी भी जानकारी प्रतिवादीगण संख्या 1 सत्यनारायण को भली–भांति थी, उसके बावजूद स्थगन आदेश के लम्बित रखते हुए व बावजूद स्थगन आदेश की जानकारी के एक षड्यंत्र रचकर कूटरचित फर्जी व गैरकानूनी तथाकथित तर्कनामे वादग्रसत सम्पति के प्रतिवादीगण संख्या 1 सत्यनारायण व प्रतिवादीगण संख्या 1 सत्यनारायण के वारिसान व रामबिलास के वारिसान ने बनाये है, जो कानूनी रूप से शून्य है व गैरकानूनी है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा माननीय न्यायालय में की गई अवमानना की कार्यवाही वादीगण अलग से करेंगे, ऐसी परिस्थितियों में उक्त तथाकथित तर्कनामे कानून के विपरीत तैयार किये गये है, जिनका कोई महत्व नहीं है। जहां तक सवाल इस पैरे में लिखे तथ्य उक्त तथाकथित तर्कनामे प्रतिवादीगण संख्या 1 सत्यनारायण के फौत होने के बाद मिलने के संबंध में है, यह तथ्य भी प्रतिवादीगण सत्यनारायण के वारिसान ने झूठे व मनगढंत दर्ज किये है, प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अपने जवाबदावा व जवाब अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में भी इन तथाकथित तर्कनामों तथा इन तथाकथित तर्कनामों के आधार पर सम्पति संख्या 1 को	

अपनी अकेले की होना नही बताया है, साथ ही माननीय न्यायालय में वादीगण के बयान हुए और प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिपरीक्षा के दौरान भी तथाकथित तर्कनामों को न तो टेण्डर किया और न ही इस संबंध में प्रतिपरीक्षा की और वादीगण की साक्ष्यपूर्ण होने के बाद यह आवेदन पेश करना प्रतिवादीगण की बदनियती को स्पष्ट रूप से साबित करता है। इस पैरे में प्रतिवादी सत्यनारायण का सम्पूर्ण हिस्सा रजिस्टर्ड तर्कनामा से आने के तथ्य लिखे है, वह भी गलत लिखे और बकाया 1/2 हिस्सा सत्यनारायण अकेले का बताया है व गोगली देवी का नाम रिजस्टर्ड बैचाननामा में सम्पति बिना हिस्सा होने के आधार पर डलवाया है, यह भी तथ्य गलत व झूठे लिखे है। प्रतिवादी ने उक्त सभी तथाकथित तर्कनामे असल न्यायालय में पेश नहीं किये है, साथ ही उक्त तीनों दस्तावेजात बिना अधिकार के एक षड्यंत्र रचकर कूटरचित तैयार किये है, जिनके संबंध में ना तो जवाबदावा में खुलासा है व न ही जवाबदावा के बाद कोई अतिरिक्त जवाबदावा पेश कर खुलासा किया गया है, साथ ही उपरोक्त बताये तथाकथित दस्तावेज कब प्राप्त हुए इसका भी कोई खुलासा प्रार्थना पत्र में नही किया गया है, ऐसी परिस्थितियों में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र मय खर्चा हर्जा खारिज करने के आदेश प्रदान करावे। अपने कथनो के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैः—

1. 2016 (3) DNJ (RAJ) 1145 Mathura Lal & Ors. VS Gopal Lal & Ors.

2. 2017 (2) DNJ (RAJ) 620 Omprakash Soni VS Manohar Lal & Ors

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन एवं अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत वादपत्र बाबत बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादी धापूदेवी व अन्य ने प्रतिवादीगण सत्यनारायण व अन्य के विरूद्ध बाबत **बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा** का वर्ष **2015** मे न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा दिनांक **05.08.2025** को साक्ष्यवादी समाप्त किये जाने पर दिनांक **14.08.2025** को प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त प्रार्थना पत्र यद्यपि अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उल्लेखित दस्तोवजात प्रकरण के गुणावगुण पर न्यायोचित निस्तारण हेतु आवश्यक एवं सुसंगत प्रतीत होते है। अतः हस्तगत प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3000/– रूपये कॉस्ट पर स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित दस्तोवजात को रेकर्ड पर लिया जाता है। हस्तगत प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा शीघ्र निस्तारण की पत्रावली संख्या 6 है। अतः प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि आगामी तारीख पर साक्ष्य आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य/जिरह प्रतिवादीगण हेतु दिनांक 17.09.2025 को पेश हो।

Shrivastava

अपर जिला न्यायाधीश
मेड़ता